वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग में 2/4 लेन मय मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिए बालोद वन मंडल अंतर्गत 26.471 हे. एवं राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 46.955 हे. कुल 73.426 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 05/11/2019
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–704/2731 रायपुर, दिनांक 05 /11/2019

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for rehabilitation and upgradation to 2 lane / 4 lane of NH-930 Jhalmala-Balod – Kushumkasa – Manpur - Kohka Road in the State of Chhattisgarh area 73.426 regarding.**

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 5477 दिनांक 27.07.2019 तथा पत्र क्रमांक/ तक.अधि/ तक.अधि/7701 दिनांक 23.10.2019

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 01 से 19 (एफ–1 से एफ–51) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 930 झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग में 2/ 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिए बालोद वन मंडल अंतर्गत 26.471 हे. एवं राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 46.955 हे. कुल 73.426 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि मॉग की गई वन भूमि न्यूनतम है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 21) – वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/ CG/ Road/ 29243/ 2017 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर की जाती है। वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव द्वारा यह भी पुष्टि की गई है कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 29,000/– जमा कराये गये है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 23) – प्रस्तावित झलमला–बालोद–कुसुमकसा–मानपुर मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में निम्नानुसार वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही हैः–

वन मंडल	वन भूमि (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा
राजनांदगांव	46.864	0.091	46.955
बालोद	25.421	1.050	26.471
योग	**72.285**	**1.141**	**73.426**

टीपः– डी.जी.पी.एस रिपोर्ट अनुसार राजनादगांव वनमंडल में वन भूमि 46.864 हे. समस्त संरक्षित वन है। जबकि बालौद वनमंडल में वन भूमि 25.421 हे. में 23.892 हे. आरक्षित वन है तथा 1.529 हे. संरक्षित वन है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 55) – राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 1.2872 हे. एवं बालोद वन मंडल अंतर्गत 4.3252 हे. कुल 5.6124 हे. गैर वन भूमि प्रभावित होने की जानकारी वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी के द्वारा दी गई है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 15000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 56 से 62) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद वन मंडल द्वारा सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 63 से 75) – एफ.एम.आई.एस द्वारा सत्यापित मानचित्र जारी किया गया है जिसके आधार पर वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद द्वारा हस्ताक्षरित संनिधि मानचित्र एवं वन आवरण मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 76 से 97) – प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 633.95 करोड रू. है। यूजर एजेंसी ने वन क्षेत्रों में सड़क की लंबाई राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 19.407 कि.मी एवं बालोद वन मंडल अंतर्गत 11.029 कि. मी. तथा वन क्षेत्र में चौड़ाई 18 मीटर तक बतायी है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है और की गई वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 98 से 135) – प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 136 से 139) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 140 से 141) – यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद वन मंडल द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 142 से 179) – यूजर एजेंसी ने भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की छाया प्रति संलग्न की है। वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव ने अपने पत्र क्रमांक 1882 दिनांक 19.10.2019 में लेख किया है कि "भारत सरकार के अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार कार्य के लिये 30 कि.मी की लंबाई के अधिक, 20 मीटर से अधिक अतिरिक्त राईट आफ वे होने एवं परियोजना के दो या अधिक राज्यों से गुजरने की स्थिति में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 930 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में अतिरिक्त राईट आफ वे 6–8 मीटर तक का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है एवं एक ही राज्य के अंतर्गत है। अतः पर्यावरण स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान का पत्र संलग्न है"।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 180 से 272) – राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत 8005 वृक्ष, वन विकास निगम के अंतर्गत 3520 एवं बालोद वन मंडल अंतर्गत 6626 इस प्रकार वन क्षेत्र में कुल 18151 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है ।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 273 से 289) – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 290 से 191) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निजी क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है बल्कि नारंगी वन क्षेत्र प्रस्तावित है। अतः यह बिन्दु विषयांकित प्रकरण में लागू नही है ।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 292 से 293) – यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है कि नक्शें की आवश्यकता नहीं हैं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 294 से 366) – परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजनांदगांव जिले में 146.852 हे. नारंगी क्षेत्र को आरक्षित वन / संरक्षित वन घोषित करने के लिए कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा पत्र दिनांक 05.02.2018 के माध्यम से अनापत्ति दी गई। इस क्षेत्र का स्वीकृति उपरांत अधिसूचना प्रकाशित कराया जाना प्रस्तावित है। जबकि 146.913 हे. (आरक्षित वन भूमि तथा नांरगी वन भूमि मिलाकर) में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। वृक्षारोपण क्षेत्रों का विवरण तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 361 पर लगाया गया है।

वन मंडल में वन परिक्षेत्र खुज्जी एवं परिक्षेत्र बागनदी के अंतर्गत 146.913 हे. (आरक्षित वन भूमि तथा नांरगी वन भूमि मिलाकर) में 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रू. 6,00,222/– प्रति हे. की दर से सिंचित वृक्षारापेण योजना प्रस्ताव में लगी है। स्वीकृति के उपरांत उस समय लागू क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर अनुसार गणना कर आवदेक संस्थान से अन्तर की राशि वसूल की जावेगी।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 367 से 370) – वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव द्वारा हस्ताक्षरित कुल 146.913 हे. वृक्षारोपण साईट का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 371 से 372) – वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद के अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 373 से 374) – लागू नहीं ।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 375 से 376) – लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 377 से 381) – चूंकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दुगने नारंगी वन क्षेत्र की अधिसूचना करायी जानी प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 382 से 386) – वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव ने पृथक से दिये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव पृष्ठ 395 पर उल्लेख किया है कि पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव के कक्ष क्रमांक 526, 544, 545, 546 भू–क्षरण क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव प्रायः होते रहता है।

आवेदक संस्थान का कथन है कि भारत सरकार के गाईडलाईन पत्र दिनांक 18.06.2004 अनुसार मिडियम, मेजर, जलाशय एवं हाईड्रोलिक प्रोजेक्ट में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता होती है। इस प्रकरण में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ में प्रस्ताव में भारत सरकार का 18.06.2004 का पत्र भी संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 387 से 388) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM **नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 389 से 390)** – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 391 से 392) – यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति / परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I **से** IV **तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 393 से 419)** – वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ 398 से 399 पर दिया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग – 2 पृष्ठ 396 पर भरा गया है।

मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ 403 से 405 पर दिया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग – 2 पृष्ठ 401 पर भरा गया है। वन मंडलाधिकारी बालोद वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ 418 से 419 पर दिया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग – 2 पृष्ठ 415 पर भरा गया है। उक्त तीनो अधिकारियों के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है तथा वन भूमि की आवश्यकता को अपरिहार्य एवं न्यूनतम बताया गया है।

वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव ने प्रस्ताव पृष्ठ 394 एवं 395 पर पृथक से अतिरिक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लगाया है जिसमें उन्होंने लेख किया है कि "आवेदित वन क्षेत्र एवं आसपास के वन क्षेत्र के अंतर्गत वन्यप्राणियों का आवागमन पाया जाता है। जैसे शेर, तेन्दुआ, हाथी, जंगली सुअर, हिरण, लकरबघ्घा, कोटरी, भालू आदि प्रायः देखा गया है। विगत वर्षो में परिक्षेत्र उत्तर मानपुर के कक्ष क्रमांक 950, 926, 919, 918 के अंतर्गत ग्राम मानपुर, कोरकोट्टी, खड़गांव एवं खेड़ेगांव में निवासरत 4 हितग्राहियों को वन्य प्राणियों से प्रभावित होने के कारण मकान क्षतिपूर्ति की राशि एवं अन्य क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 के चौड़ीकरण एवं 2/4 लेन करने से आसपास के वन्य प्राणियों का रहवास एवं आवागमन प्रभावित होगा।"

मुख्य वन संरक्षक दुर्ग द्वारा आवेदित वन क्षेत्र का स्थल निरीक्षण दिनांक 27.07.2019 को किया जाकर भाग–3 में कुल 73.426 हे. वन क्षेत्र में मार्ग उन्नयन हेतु स्वीकृति की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक दुर्ग की यह अनुशंसा प्रस्ताव के शुरूआती पृष्ठों एफ 32 पर लगी हुई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 420 से 424) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा दिनांक 13.11.2017 के पत्र से तथा कलेक्टर बालोद द्वारा पत्र दिनांक 22.11.2017 के पत्र से जारी किया गया है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 425 से 449) – सरपंच ग्राम पंचायत सेरपार, मुरारगोटा, ढब्बा, खरदी, मिचगांव, खड़गांव, बोरिया मोकासा, कहडबरी, भर्रीटोला, तुमरीकसा, कोराला, झलमला, हीरापुर, सिवनी, खेरथाडीह, दानीटोला, गुजरा, पथराटोला, बिटाल एवं धोबेदंड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 450 से 451) – प्रस्ताव राजनांदगांव वन मंडल की कुल वन भूमि 89376.81 हे. एवं बालोद वन मंडल की कुल वन भूमि 86292 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 452 से 453) – स्वीकृत प्रकरणों मे राजनांदगांव वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 536.003 हे. है एवं बालोद वन मंडल में स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि 599.880 हे. है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 454 से 455) – स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की राजनांदगांव वन मंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 7.018 हे. है जबकि बालोद वन मंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि निरंक है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 456 से 457) – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है। वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद का पृथक–पृथक प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 458 से 459) – खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 460 से 526) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा दिनांक 15.05.2018 को 46.955 हे. वन भूमि के लिये

लीनियर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ में ग्राम सभा दोरबा, जक्के, कहडबरी, सिवनी, तुमरीकसा, मानपुर, ढब्बा, कोहका का कार्यवाही विवरण तथा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण लगाया गया है।

आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बालोद द्वारा दिनांक 29.06.2018 को 26.471 हे. वन भूमि के लिये लीनियर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ में ग्राम सभा दैहान, अमलीडीह, दानीटोला, झिकाटोला, धोबेदंड, हितेकसा, विटाल का कार्यवाही विवरण लगाया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 527 से 530) – राजस्व वन भूमि के लिये कलेक्टर राजनांदगांव एवं कलेक्टर बालोद द्वारा जारी क्रमशः दिनांक 18.05.2017 तथा 25.01.2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 531 से 535) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 536 से 537) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 538 से 549) – दोनो वन मंडलो के लिये पृथक पृथक Soil Productivity Report संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 550 से 551) – वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद द्वारा दिया गया है ।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 552 से 553)** – आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 554 से 558) – कुल राशि 29000/– के बैक ड्राफ्ट की दो छाया प्रतियां भी पुष्टि हेतु लगा दी गई है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 559 से 560) – वन मंडलाधिकारी राजनांदगांव एवं बालोद वन मंडल द्वारा अभिमत दिया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 561 से 562) – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) **कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 563 से 582)** – प्रस्ताव के पृष्ठ 575 से 582 पर निम्नानुसार प्रारूप अधिसूचना प्रस्ताव लगाया गया है ताकि स्वीकृति की दशा में अधिसूचित कराये जाने वाले वन भूमि के लिये स्पष्टता बनी रहें। यह निम्नानुसार है –

क्रमांक	वन खण्ड का नाम	वन मंडल का नाम	खसरों की संख्या	सम्मिलित रकबा (हे.)
1	गहिराभेरी	राजनांदगांव	5	3.773
2	पथरानवागांव		11	62.268
3	छिन्दीबिहरी–1		12	65.673
4	मातेखेरा		1	15.138
		कुल	**29**	**146.582**

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा विषयांकित मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 03 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़